PIB COMPILATION APRIL 2017

GS PAPER II

1.बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए सहयोग समझौते को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने 40,000 यूरो के कुल अनुमानित व्यय पर जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए फ्रांस के फ्रेंच नैशनल रिसर्च एजेंसी) एएनआर (के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट को वित्तीय सहायता 2017 के बाद भी जारी रखने को मंजूरी दी है।

- साल 2009 में स्थापित बेलमॉन्ट फोरम वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला विश्व का एक प्रमुख उच्चस्तरीय समूह है। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के संरेखण के जरिये समाज के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान एवं अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता है।
- भारत के अलावा बेलमॉन्ट फोरम के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका आदि शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) बेलमॉन्ट फोरम में 2012 से ही भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है।
- बेलमॉन्ट की गतिविधियों के समन्वय के लिए बेलमॉन्ट फोरम के किसी एक सदस्य द्वारा बारी-बारी से सेक्रेटैरिएट की मेजबानी की जाती है। एएनआर फ्रांस जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक इस सेक्रेटैरिएट की मेजबानी कर रहा है। सेक्रेटैरिएट की मेजबानी के लिए व्यय का वहन बेलमॉन्ट फोरम के सदस्य देशों द्वारा वस्तु या नकद सहयोग के रूप में किया जाता है

प्रभाव:

- यह समझौता फोरम के संचालन में काफी हद तक निरंतरता बरकरार रखने में मदद करेगा और यह बेलमॉन्ट फोरम की गतिविधियों का समन्वय भी सुचारू तरीके से करने में मदद करेगा। भारत पहले से ही चार कोलैबोरेटिव रिसर्च एक्शंस (सीआरए) में भाग ले रहा है और सेक्रेटैरिएट बेलमॉन्ट फोरम की गतिविधियों में सहयोग करेगा। इसलिए इस समझौते से अंतत: भारतीय वैज्ञानिक समुदाय लाभान्वित होंगा।

GENERAL STUDIES HINDI

पृष्ठभूमि:

- साल 2009 में बेलमॉन्ट फोरम की स्थापना से ही उसके परिचालन की देखरेख बेलमॉन्ट फोरम के संबंधित अध्यक्षों से संबद्ध अंशकालिक सचिवालय द्वारा किया जाता रहा है। चूंकि सह-अध्यक्ष बदलते रहते हैं, इसलिए सेक्रेटैरिएट भी बदलता रहता है और सह-अध्यक्ष विभिन्न टाइम जोन के साथ विभिन्न महाद्वीपों से होते हैं। इस फोरम के परिचालन को एक निश्चित सीमा तक बरकरार रखने के लिए बेलमॉन्ट फोरम के सदस्यों द्वारा क्रमिक आधार पर एक स्थायी सेक्रेटैरिएट स्थापित करने के लिए सहमति जताई गई थी। एएनआर फ्रांस ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक इस सेक्रेटैरिएट की मेजबानी करने के लिए राजी हुआ था।

2. भारत ने ई-वीज़ा शक्ति का विस्तार किया

- देश में एक नई उदारवादी ई-वीज़ा व्यवस्था 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिए खुशियां लाएगी। इससे ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अवधि तथा भारत में रहने की अवधि साथ-साथ ही बढ़ा दी गई है। हालांकि, भारतीय राजनयिक मिशनों द्वारा वीजा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाएगा।
- वास्तव में ई-वीज़ा की प्रणाली पिछले सात वर्षों से शुरू हुई है। नव वर्ष दिवस 2010 पर भारत ने पांच देशों- जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए ही आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही सरकार ने कंबोडिया, लाओस वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया।
- केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मिला। भारत की यात्रा को एक सहज अनुभव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) से युक्त आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) की सुविधा 27 सितंबर, 2014 को शुरू की गई। टीवीओएए-ईटीए आशय और क्षेत्र में अलग था। यह 9 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिए 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूर्व प्राधिकार था। इन देशों के नागरिक Https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html वेबसाइट पर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें भारत आगमन पर वीजा सौंप दिया जाएगा। यह एक एकल प्रवेश वीजा है, जो 30 दिनों के लिए वैध होगा।
- वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान विभिन्न उद्दश्यों के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 7.68 मिलियन, 8.03 मिलियन और 8.90 मिलियन (अनंतिम) रही है। इनमें से आगमन पर ई-वीजा वाले पर्यटकों की संख्या 2014, 2015 और 2016 में क्रमशः 0.39 लाख, 4.45 लाख और 10.80 लाख रही है। 149 देशों के पर्यटकों ने ई-वीज़ा सुविधा का लाभ उठाया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिहाज से 30 नवंबर, 2016 को वीजा व्यवस्था उदार, सरल और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। इसे अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अब ई-वीज़ा में पर्यटक, व्यापार, चिकित्सा और रोजगार श्रेणियां हैं। इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा जैसी नई श्रेणियों को भी शामिल किया है।
- विभिन्न देशों के क्रूज़ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अब ई-वीजा सुविधा 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत प्रवेश के लिए 161 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जल्दी ही मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों को ई-वीज़ा सुविधा के तहत शामिल किया जाएगा। ई-वीज़ा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। ई-पर्यटक, ई-व्यापार वीजा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीजा पर तिहरे प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है। चिकित्सा पर्यटकों के लाभ के लिए ऐसे पर्यटकों की बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- अधिकांश देशों के नागरिक पांच वर्ष की अवधि के लिए वह पर्यटन और व्यापार उद्देश्यों के लिए बहु प्रवेश वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल जरूरत वाले मामलों में आवेदन के 48 घंटों के भीतर व्यापार और चिकित्सा वीज़ा प्रदान किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक नामांकन सुविधा वाले 94वीं भारतीय मिशनों ने 1 मार्च, 2017 से 5 साल के बहु प्रवेश वाले वीजा जारी करने शुरू कर दिए हैं। बाकी राजनयिक मिशनों में भी आने वाले समय में ऐसा कर दिया जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

- नई वीजा व्यवस्था से भारत के एक अधिक अनुकूल पर्यटन स्थल बन जाने की संभावना है। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में सुविधा मिलेगी, जिसमें विदेशी निवेशकों की अनेकों बार भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। यह योजना डिजिटल इंडिया के विजन के भी समरूप है। इस कदम से राजनयिक मिशनों का मैन्युअल भार भी कम होने की संभावना है। मिशनों की वीजा खिड़कियां उन पर्यटकों के लिए खुली रहेंगी, जो ऑफ़लाइन की पद्धति से आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के विभिन्न देश ई-वीजा विकल्प के मार्ग को चुन रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने समय के अनुसार कदम उठाने का निर्णय लिया है।

3. गंगा अधिनियम के प्रारूप पर मालवीय समिति ने प्रस्तुत की रिपोर्ट

- केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गत वर्ष जुलाई में इस समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य थे– श्री वी के भसीन, पूर्व सचिव विधायी विभाग भारत सरकार, प्रोफेसर ए के गोसाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और प्रोफेसर नयन शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक श्री संदीप समिति के सदस्य सचिव थे।

Recommendation

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में गंगा की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।
- रिपोर्ट में गंगा के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करने के बारे में कई कड़े प्रावधानों का उल्लेख है।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास पूर्व में उपलब्ध कानूनी प्रारूपों का भी अध्ययन किया।

4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल एप (आरयूएसए) लॉन्च

GENERAL STUDIES HINDI

यह पोर्टल राज्यों की उच्चतर शिक्षा योजनाओं, राज्यों की उच्चतर शिक्षा परिषदों के निर्णयों एवं इन योजनाओं के तहत संसाधनों के विवरणों से संबंधित एक वन स्टॉप योजना है। इसके अतिरिक्त, यह गैलरी आरयूएसए के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का एक समृद्ध संग्रह भी है।

- पूरे भारत वर्ष में हजारों वर्ग कक्षाओं के भीतर एक बार फिर से शिक्षण - अध्ययन को पुनः जीवित किया गया है।
- आरयूएसए के तहत भर्तियों पर प्रतिबंध को हटाने तथा रिक्त स्थानों को भरने के प्रति राज्यों द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए कई राज्यों ने रिक्त संकाय पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
- आरयूएसए के गठन से पहले 9 राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सृजन विधायिका के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
- राज्य एक प्रतिबद्धता के तहत आरयूएसए में शामिल हुए जिससे कि उनके द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सृजन किया जा सके। आज की तारीख तक 21 और अधिक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश के जरिए राज्य उच्चतर

शिक्षा परिषदों का गठन कर दिया गया है तथा पांच और राज्यों ने विधायिका के एक अधिनियम के जरिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों की स्थापना की है।

- अभी तक 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर 34 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी उच्चतर शिक्षा योजना प्रस्तुत कर दी है। प्रत्येक राज्य को उनके प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजना तैयार करना है।

Background:

आरयूएसए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका उद्देश्य राज्य उच्चतर शिक्षा विभागों एवं संस्थानों को कार्य नीतिक केन्द्रीयवित्त पोषण उपलब्ध कराना है तथा पहुंच, समानता एवं उत्कृष्टता के व्यापक लक्ष्यों को अर्जित करना है। राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग एवं संस्थान आरयूएसए अनुदानों के लिए हकदार होने की एक पूर्व शर्त के रूप में कुछ विशेष संचालन संबंधी, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार आरंभ करते हैं। आरयूएसए का कार्यान्वयन सच्ची तत्परता के साथ मई 2014 के बाद आरंभ हुआ।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना) शहरी - (सभी के लिए आवास मिशन

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ' प्रधानमंत्री आवास योजना) पीएमएवाई) (शहरी -(सभी के लिए आवास (एचएफए (मिशन' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त बेहतर पक्के घर 2022 तक सुलभ कराये जायेंगे।

- प्रधानमंत्री ने 25 जून , 2015 को पीएमएवाई) शहरी-(एचएफए का शुभारंभ किया था। यह योजना सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 4,041 शहरों और कस्बों में कार्यान्वित की जायेगी।
- यह योजना मूल रूप से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों के हित में बनायी गयी थी।
- प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 को पीएमएवाई) शहरी(योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें **मध्यम आय वर्ग**) एमआईजी (को भी लाने की घोषणा की।
- 2011 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने अनुमान लगाया कि मरम्मत न होने योग्य कच्चे घरों में रहने वाले 0.99 मिलियन शहरी परिवारों , जीर्ण - क्षीर्ण हो चुके घरों में रहने वाले 2.27 मिलियन परिवारों , तंग मकानों में रहने वाले 14.99 मिलियन परिवारों और 0.53 मिलियन बेघर शहरी परिवारों के लिये 18.78 मिलियन आवासीय इकाइयों की किल्लत है। शहरीकरण में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए पीएमएवाई) शहरी (योजना के शुभारंभ के समय शहरी इलाकों में लगभग दो करोड़ आवासीय इकाईयों की मांग होने का आकलन किया गया था। इसके बाद राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से नई मांग का आकलन करने को कहा गया है और यह कार्य लगभग संपन्न होने वाला है।

पीएमएवाई) शहरी -(एचएफए की मुख्य विशेषताएं* :----

- लक्षित लाभार्थियों में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग)ईडब्ल्यूएस(, 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग) एलआईजी(, 6 से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी) 1) और 12 से 18 लाख रुपये तक की

वार्षिक आय वाले एमआईजी) 2) को शामिल किया गया है। लक्षित लाभार्थियों के लिए तय की गयी 18 लाख रुपये की ऊपरी आय सीमा भारत के लिहाज से काफी ज्यादा है , इसलिए पीएमएवाई) शहरी - (एचएफए से समाज का बड़ा तबका लाभान्वित होता है और यह सरकार के ' सबका साथ- सबका विकासके दर्शन के अनुरूप है। पीएमएवाई) शहरी (के तहत केंद्रीय सहायता

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जून , 2015 को पीएमएवाई) शहरी (एचएफए को अनुमोदित किया है। इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख से लेकर 2.30 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। **ये घटक निम्नलिखित** :---:

  (1). **मूल स्थान पर ही झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास) आईएसएसआर -- :(** इस घटक के अंतर्गत परियोजना की लागत निकालने के लिए संसाधन के रूप में भूमि का इस्तेमाल कर मूल स्थान पर ही झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास किया जायेगा , ताकि झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला भवनों में पक्के आवास उपलब्ध हो सकें। परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार एक लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

  (2.)**साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी**--:(न्यूनतम 250 इकाइयों वाली परियोजनाओं में यदि 35 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किए जाते हैं तो राज्यों / केंद्र शासित प्रदशों / शहरों/ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर निर्मित किए जाने वाले आवासों के लिए प्रत्येक ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

  (3.)**लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी** -- :(ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 1.50–1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है , ताकि वे स्वयं ही नए मकानों का निर्माण कर सकें या अपने मौजूदा मकानों का विस्तार कर सकें।

  (4.) **ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना** (सीएलएसएस --:(ईडब्ल्यूएस , एलआईजी , एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा नया निर्माण करने और अतिरिक्त कमरे , रसोईघर, शौचालय इत्यादि के निर्माण हेतु लिए गए आवासीय ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 6.00 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 6.50 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों को दी जाती है। इसी तरह 6.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले एमआईजी के लाभार्थियों को 9.00 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वहीं , 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले एमआईजी के लाभार्थियों को 9 लाख रुपये के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी लगभग 2.30 लाख रुपये से लेकर 2.40 लाख रुपये तक बैठती है जिसका अग्रिम भुगतान किया जाता है , ताकि लाभार्थियों पर ईएमआई का बोझ घट सके। जहां तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों के लिए आवास का सवाल है , निर्मित होने वाले आवासों का परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर अथवा परिवार के वयस्क महिला एवं पुरुष सदस्यों के नाम पर संयुक्त रूप से होना आवश्यक है। एमआईजी के लिए सीएलएसएस के तहत आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्यों को ब्याज सब्सिडी पाने का पात्र माना गया है , भले ही वे अविवाहित ही क्यों न हो। किफायती आवास परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा और इनमें से कुछ ने इस तरह की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है।

ज्यादा आवास निर्माण का असर---: *

GENERAL STUDIES HINDI

निर्माण क्षेत्र का जीडीपी) सकल घरेलू उत्पाद (पर अत्यंत महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही यह 250 सहायक उद्योगों के लिए भी मददगार साबित होता है। निर्माण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। किफायती आवास खंड को ‘ बुनियादी ढांचागत ’ प्रदान करना और 20 से अधिक रियायतें एवं प्रोत्साहन देना इन कदमों में शामिल हैं। वहीं , किफायती आवास परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे को आयकर से छूट, अचल संपत्ति (नियमन एवं विकास (अधिनियम , 2016 का अधिनियमन, इत्यादि इन रियायतों में शामिल हैं। इन कदमों से इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है जिससे अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होंगे।

पीएमएवाई) शहरी (के कारगर क्रियान्वयन के लिए पहल*- एचएफए--:
- सरकार ने 2017-18 के बजट में किफायती आवास को बुनियादी ढांचागत दर्जा देने की घोषणा की है जिससे बढ़े हुए एवं निम्न लागत वाले ऋण प्रवाह के रूप में यह क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है।
- वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक की अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए मास्टर प्लान में संशोधन / तैयार करना, किफायती आवास के लिए भूमि चिन्हित करना, लेआउट एवं भवन निर्माण योजनाओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है और इसके साथ ही आवासीय क्षेत्रों के लिए भूमि को पहले ही चिन्हित कर दिए जाने की स्थिति में अलग गैर - कृषि अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है और झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं इत्यादि के लिए अतिरिक्त एफएआर / एफएसआई/ टीडीआर का प्रावधान किया गया है।

6. पृथ्वी मातृ को बचाने के लिए भारत की पहल

संयुक्त राष्ट्र 22 अप्रैल को एक विशेष दिवस के रूप में पृथ्वी मातृ दिवस मनाता है। 1970 में10000 लोगों के साथ प्रारंभ किये गये इस दिवस को आज 192 देशों के एक अरब लोग मनाते हैं। इसका बुनियादी उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और भविष्य में पीढ़ियों के साथ अपने संसाधनों को साझा करने के लिए मनुष्यों को उनके दायित्व के बारे में जागरूक बनाना है।

GENERAL STUDIES HINDI

- 2017 के विषय "पर्यावरण और जलवायु साक्षरता" का उद्देश्य पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए आम लोगों में इस मुद्दे के प्रति जानकारी को और सशक्त बनाया और उन्हें प्रेरित करना है।
- आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल) के मुताबिक भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मामले में सबसे कमजोर है जो स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

Govt. of India's efforts to combat climate change challenges:---

- जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के समाधान के लिए भारत ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी): जलवायु न्याय की दिशा में कार्य करने' के उद्देश्य से एक व्यापक योजना विकसित की है। इस दस्तावेज़ में इस मुद्दे के समाधान के लिए समग्र रूप से अनुकूलता के घटक, शमन, वित्त,हरित प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन के दौरान,विकासशील देशों के लिए स्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के अधिकार के लिये न्योचित कार्बन उपयोग का भी आहवान किया गया है।

- 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा हेतु 3500 मिलियन या 56 मिलियन अमरीकी डॉलर से'राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' के गठन से नीतियों की पहल की जायेगी।
- इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु वायु, स्वास्थ्य, जल और सतत कृषि की पुनः परिकल्पना के अतिरिक्त अभियान के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही (एनएपीसीसी) के अतंर्गत राष्ट्रीय अभियानों को फिर से प्रारंभ करना है।
- अनुकूलन रणनीति का उपयोग भूमि और जल संसाधन के स्थायी उपयोग के लिए किया जाता है। देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्रियान्वयन, जलशोधन और जल कुशल सिंचाई कार्यक्रम के उपयोग से जोखिम रहित कृषि की दिशा का मार्ग प्रशस्त होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं से किसानों को बचाने की दिशा में फसलों का कृषि बीमा एक और महत्वपूर्ण पहल है।
- 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 35 गीगावॉट (गीगा वाट) से 175 गीगावॉट तक बढ़ाने के द्वारा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का निर्माण शमन रणनीतियों में शामिल है। सौर ऊर्जा में पांच गुना वृद्धि के साथ इसे 1000 गीगावॉट तक बढ़ाना के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन के अतिरिक्त देश भर में बिजली पारेषण और वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पावर ग्रिड को भी विकसित करना है। 10 प्रतिशत ऊर्जा खपत को बचाने हेतु ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।
- हालांकि ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान की दिशा में सूक्ष्म स्तर की नीतियां हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी सूक्ष्म परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो न सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि सबसे गरीब समूहों के प्रत्यक्ष लाभ में भी योगदान कर रही हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंर्तगत22.66 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं इससे न सिर्फ 11776 करोड़ रुपये की बचत होगी बल्कि यह प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में भी 24 मीट्रिक टन की कमी लाएगी।
- इसी प्रकार से, बीपीएल कार्ड रखने वाली महिलाओं को पेट्रोलियम मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले से ही 2 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है और इसे2019 तक 8 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- इसके उपयोग से ग्रामीण महिलाओं पर सीधे प्रभाव पड़ता है, इससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तक न सिर्फ आसान पहुँच प्रदान करता है बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और इसके साथ-साथ वन संसाधनों पर दबाव कम होने के अलावा कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।
- स्वच्छ भारत मिशन की एक और रणनीति शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने की पहल भी है। इसी तरह देश भर में 816 सीवेज उपचार संयंत्रों में पुर्नचक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करके प्रतिदिन 23,277 मिलियन लीटर पानी को स्वच्छ बनाना एक और पहल है
- बंजर भूमि का पुनरुद्धार करके वन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र में बदलने के वार्षिक लक्ष्य के साथ हरित भारत मिशन एक और पहल है जिससे प्रतिवर्ष 100मिलियन टन कार्बन को कम किया जाएगा।
- पारंपरिक भारतीय संस्कृति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। "वसुदेव कुटंबकम" की अवधारणा के साथ पृथ्वी पर सभी जीव रूपों को एक परिवार माना जाता है और यह एक दूसरे पर निर्भरता की अवधारणा को मजबूत करता है। आधुनिक दुनिया में पृथ्वी मातृ दिवस के आगमन से पहले, वेद और उपनिषदों ने

GENERAL STUDIES HINDI

धरती को हमारी मां और मानव को बच्चों के रूप में माना है। जलवायु परिवर्तन के संकट के आगमन से पहले, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरणीय स्थिरता की अवधारणा पर विचार किया और पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य की पीढ़ियों तक इसे पहुँचाने का कार्य भी किया।

- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का स्मरण करना उचित होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि, "हमें तकनीकी, नवीनता और वित्त पोषण के साथ सभी की पहुंच तक सस्ती, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा हेतु एक वैश्विक सार्वजनिक साझेदारी बनानी चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में समान रूप से बदलावों को देखना चाहिए जिससे ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम की जा सके और हमारे उपभोग अधिक दीर्घकालीन हों। यह एक वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करने के समान ही महत्वपूर्ण है जो हमारी धरती मां के संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करता है।"

इस प्रकार से, यह पर्यावरण और जलवायु साक्षरता के माध्यम से ही संभव है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन शैली में परिवर्तन से वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर हम पृथ्वी माँ को बचा सकते हैं।

7. अशोक लवासा समिति: भत्तों की समीक्षा पर

- केन्द्रीय वेतन आयोग) सीपीसी (द्वारा भत्तों पर पेश की गई सिफारिशों पर गौर करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भत्तों पर गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंप दी।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव एवं सचिव) व्यय (श्री अशोक लवासा इस समिति के अध्यक्ष थे और गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा डाक सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इसके सदस्य थे, जबकि संयुक्त सचिव) क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (इसके सदस्य सचिव थे।

- सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन, पेंशन एवं संबंधित मुद्दों पर पेश की गई सिफारिशों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जून, 2016 को दी गई मंजूरी को ध्यान में रखते हुए यह समिति गठित की गई थी। सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्तों के ढांचे में व्यापक बदलाव लाने की सिफारिश और कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की ओर से पेश किये गये अनगिनत ज्ञापनों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कुल 196 भत्तों में से 52 भत्तों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और 36 भत्तों की पृथक पहचान समाप्त करते हुए उनका विलय अन्य भत्तों में कर दिया जाए।
- सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्तों पर पेश की गई सिफारिशों को लेकर विभिन्न हितधारकों की ओर से प्राप्त सभी ज्ञापनों पर समिति ने गौर किया। 70 भत्तों के संबंध में ज्ञापन एवं संशोधन के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए, जिन पर समिति ने विस्तार से विचार-विमर्श किया है। ऐसा करते वक्त समिति ने राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति) कर्मचारी पक्ष (के सभी सदस्यों, संयुक्त सलाहकार मशीनरी)जेसीएम (तथा रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, डाक कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सों और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों से बातचीत की। समिति ने इसके साथ ही रक्षा बलों के प्रतिनिधियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) सीएपीएफ (अर्थात सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स के महानिदेशकों तथा आईबी एवं एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चाएं कीं, ताकि उनके विचार जाने जा सकें। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, समिति ने कुल मिलाकर 15 बैठकें की थीं और विभिन्न

GENERAL STUDIES HINDI

ज्ञापनों पर गौर करने में अपर सचिव) व्यय विभाग (की अध्यक्षता वाले अधिकारियों के समूह ने इसकी सहायता की थी

- हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और विभिन्न ज्ञापनों पर गौर करने के बाद समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ विशेष संशोधन करने का सुझाव दिया है, ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पीछे दी गई दलीलों के साथ-साथ अन्य प्रशासकीय मजबूरियों के संदर्भ में हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं दूर की जा सकें। ऐसे कुछ भत्तों में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जो सार्वभौमिक तौर पर सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसी तरह ऐसे कुछ अन्य भत्तों में भी संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जो विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों जैसे कि रेल कर्मियों, डाक कर्मियों, वैज्ञानिकों, रक्षा क्षेत्र के कर्मियों, डॉक्टरों एवं नर्सों इत्यादि पर लागू होते है
- इस रिपोर्ट पर फिलहाल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विचार-विमर्श किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को परखने के लिए गठित की गई सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, ताकि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन एवं पेंशन पर पेश की गई सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर भत्तों का भुगतान अब भी पुरानी दरों पर ही हो रहा है।

<u>8. गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की परंपरा का अंत – वीआईपी संस्कृति के लिए बड़ा झटका</u>

ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि 'अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है'। सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की संस्कृति को खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय इस दिशा में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत है।

- ✓ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 19 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियां लगाने की परंपरा को खत्म करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिए जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 'प्रत्येक भारतीय नागरिक ख़ास है, प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है।
- ✓ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती को हटाने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती से वीआईपी संस्कृति का प्रदर्शन होता है, और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की किसी भी संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। वाहनों के ऊपर लगी इन लाल बत्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि एंबुलेंस, दमकल आदि आपातकालीन और राहत कार्यों के अंतर्गत सेवा कार्यों में लगे वाहनों पर इस तरह की बत्तियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। इस निर्णय के मद्देनज़र, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा। यह बात केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त बयान में कही गई।
- ✓ इसके तुरंत बाद यह टेलीविज़न समाचार चैनलों और समाचार पोर्टल्स पर बड़ी ख़बर के रूप में दिखने लगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस ख़बर के संबंध में खुशनुमा संदेशों की झड़ी लग गई। वाहनों से लाल, नीली, ऑरेंज (नारंगी) आदि बत्तियों को हटाने की ख़बर जैसे ही देशभर में फैली, तो जिन लोगों को इस तरह की बत्तियों का उपयोग करने की अनुमति थी, उनमें से कई वीआईपी ने तुरंत प्रभाव से अपने वाहनों से बत्ती उतारते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया आदि पर अपलोड कर दी और हज़ारों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि वे

कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा हैं और समाज के अन्य लोगों की तरह ही आम नागरिक हैं। वाहनों से बत्तियों को हटाकर वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के संदेश को आश्वासन के रूप में देखा जा सकता है, एक वादे के रूप में देखा जा सकता है, देश में बदलाव लाने वाले एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है और इस संदेश को देशभर में भेदभाव खत्म करने के रूप में भी देखा जा सकता है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला :---

- ✓ - सरकार ने दिसंबर 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाते हुए वाहनों पर लगने वाली लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियों को हटाने के बारे में यह निर्णय लिया। इस फैसले में कानूनों में संशोधन कर, वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी।
- ✓ वीआईपी संस्कृति के बारे में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "यदि सत्ता कुछ व्यक्तियों तक केन्द्रित रहती है, तो सत्ता को हासिल करने का लालच लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर देगा। हमने पिछले चार दशकों में जो किया है वह निश्चित रूप से हमारी स्थापित राजनीतिक प्रणाली को झटका पहुंचाएगा। इसके सबसे बेहतर उदाहरण, छोटे से लेकर बड़े सार्वजनिक प्रतिनिधियों और विभिन्न कैडरों के नौकरशाहों सहित विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्ती आदि का उपयोग किया जाना है। लाल बत्ती सत्ता को प्रदर्शित करती है और जिनके पास इस तरह की बत्तियों को उपयोग करने की सुविधा है और जिनकी पास ऐसी सुविधा नहीं है, उनके बीच बड़े अंतर को दर्शाती है।
- ✓ इस मामले में न्यायालय द्वारा गठित एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया था कि लाल बत्ती लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था, जो लोग इस तरह की बत्ती का उपयोग करते हैं वे खुद को सामान्य लोगों से अलग एवं बेहतर श्रेणी में समझते हैं। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि, सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का व्यापक उपयोग उन लोगों की मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा की थी, और देश के आम लोगों को गुलाम डराने-धमकाने का प्रयास करते थे।

मंत्रिमंडल की घोषणा उत्साह लेकर आई*:--

- ✓ केन्द्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के तुरंत बाद, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा कर दी। अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्य शामिल हैं। कई अन्य राज्यों ने भी जल्द ही इस नियम का पालन किया। यह वीआईपी संस्कृति और लाल बत्ती परंपरा से मुक्ति का एक प्रयास था। दिल्ली और त्रिपुरा सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाल ही में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों (कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ) ने शपथ लेने के तुरंत बाद यह ऐलान किया कि वे लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं।

"प्रत्येक भारतीय विशेष है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है"*:---

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती को हटाकर इस बत्ती संस्कृति को खत्म करना वास्तव में सही दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि 'प्रत्येक भारतीय नागरिक ख़ास है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है'।

GENERAL STUDIES HINDI

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद, लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वीआईपी टैग के जरिए मिलने वाला विशेषाधिकार आदि का अंत होगा, और देश का प्रत्येक नागरिक एक समान अवसरों का लुत्फ उठा पाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी गरीब को वीआईपी कोटे की वजह से बेहतर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाला मरीज भी दिल आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम हो पाएगा। वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से दूर-दराज के इलाके से आने वाले मरीज़ को किसी दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री ने यह वादा किया है कि , 'प्रत्येक भारतीय ख़ास है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है'। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लाल बत्ती के रूप में ताकत के प्रतीक बन गई इस संस्कृति का अंत करेगा।

GS PAPER III

1. पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम

- केन्द्र सरकार ने पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। पशुओं का स्वास्थ्य किसान हित से जुड़ा है, अगर पशु स्वस्थ होंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस दिशा में सरकार की पहल का ही नतीजा है कि देश दुध उत्पादन में नंबर वन पर बना हुआ है और अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है।
- वायरस जनित खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) और Influenza जैसी बीमारियां पशुधन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है लेकिन सरकार खुरपका एवं मुंहपका रोग के रोकथाम का पूरा प्रयास कर रही है।
- पशुओं के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए बेहतर प्रबंधन अपनाकर वर्ष 2013 की तुलना में 2015 में 377 प्रकोपों से घटाकर 109 पर ला दिया है।
- देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए **पशुधन संजीवनी-नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना** शुरू की गयी है।
- पशु यूआईडी द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डाटा बेस बनाया जा रहा है।
- देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' की 500 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ दिसम्बर 2014 में शुरुआत की गई।
- इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। देशी नस्लों के सुधार लिए राष्ट्रीय बोवाइन जेनॉमिक केंद्र की स्थापना की गयी है।
- सरकार ने ई पशुधन हाट पोर्टल की भी शुरुआत की है।
- जैव सुरक्षा और जैव नियंत्रण की सुविधाओं के साथ भुवनेश्वर की यह अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला वैश्विक भागेदारी और सार्क क्षेत्र में इस रोग के नियंत्रण में अहम भूमिका अदा करेगी।

2. अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन के विस्तार को एक साल तक मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2017 के बाद एक और साल तक विस्तार देने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

GENERAL STUDIES HINDI

यह विस्तार परियोजना के शेष बचे उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्राप्त करने में मदद करेगा। परियोजना के रखरखाव का चरण 2022 तक जारी रहेगा, जैसा कि पहले ही अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना का कुल परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये है। अभी तक इस परियोजना के लिए 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इनमें से 2016-17 तक पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है।

इंटर ऑपरेटिव आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) का उद्देश्य सीसीटीएनएस परियोजना को पहली बार ई-कोर्ट एवं ई-जेल डाटाबेस और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य पिलर (खंभों) जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बालसुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ जोड़ना है। यह एकीकरण डेस्कटॉप डैशबोर्ड के जरिए न्यायपालिका, पुलिस और जेलों तक पहुंच उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है ताकि त्वरित तथा सूचना देने वाले फैसले लिए जा सकें और जांच में सहयोग किया जा सके।

सीसीटीएनएस परियोजना का प्रभाव इस प्रकार होगाः

i. सभी राज्यों एवं केंद्र में सिटीजन पोर्टल, स्व-सेवा (सेल्फ सर्विस) मोड में पुलिस की मदद उपलब्ध कराने, शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं लापता लोगों तथा चोरी हुई चीजों की खोज एवं रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और तेजी लाएगा।
ii. संपूर्ण राष्ट्रीय अपराध एवं आपराधिक डाटाबेस पर देशव्यापी खोज की जा सकेगी। यह किसी भी जांचकर्ता अधिकारी के लिए पूरे देश में सुलभ होगी।
iii. अंतर-राज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के पुलिस को क्षेत्रीय भाषाओं में भी खोज की सुविधा उपलब्ध होगी।
iv. देश के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिविटी।
v. राष्ट्रीय स्तर पर अपराध विश्लेषण प्रकाशित किए जाएंगे, जिनकी संख्या बढ़ने से नीति एवं कानून बनाने वालों को डाटा पर आधारित समयबद्ध कार्रवाई करने और उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद होगी।
vi. आधार, जनसंख्या रजिस्टर, भूतल परिवहन मंत्रालय की वाहन परियोजना, पासपोर्ट सेवा और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली परियोजना जैसी विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के एकीकरण से इन व्यक्तिगत प्रणालियों से मिलने वाला लाभ में बढ़ोतरी होगी और तालमेल में सुधार आएगा। यह विभिन्न प्रकार के पुलिस सत्यापन अनुरोधों और जांच में तेजी लाएगा।
vii. बायोमेट्रिक आधारित पहचान, ट्रेंड एवं पैटर्न विश्लेषण आदि उन्नत सुविधाओं को उच्च तकनीक वाली जांच क्षमता को बढ़ाने में शामिल किया जाएगा।
viii. आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पिलर के लिए उपलब्ध होने वाले आईसीजेएस को इसकी सर्विस डिलीवरी सुधारने में मदद मिलेगी।

3. **साहिबगंज में गंगा नदी पर मल्टी-मोडल टर्मिनल**

- मल्टी-मोडल टर्मिनल वाराणसी से हल्दिया तक, 1390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग)एनडब्ल्यू- (1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ एनडब्ल्यू- 1 को भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जल मार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
- साहिबगंज टर्मिनल एनडब्ल्यू- 1 पर निर्मित हो रहे तीन बहु-मोडल टर्मिनलों में दूसरा टर्मिनल है।

GENERAL STUDIES HINDI

- इससे पहले मई 2016 में, आईआरडब्ल्यूएआई को वाराणसी में एक बहु-मोडल टर्मिनल का निर्माण करने के लिए अनुबंध दिया गया था। तीसरे टर्मिनल का निर्माण पश्चिम बंगाल के हल्दिया में होगा। जल्द ही हल्दिया में काम शुरू होने की उम्मीद है। एनडब्ल्यू- 1 पर बड़ी संख्या में कार्गो की आवाजाही और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टर्मिनलों का निर्माण आवश्यक है।
- साहिबगंज में निर्मित होने वाले टर्मिनल का निर्माण कार्य 2019 में पूरा होगा, जिसके बाद इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2.24 मिलियन टन प्रति वर्ष) एमटीपीए (प्रति वर्ष होगी। टर्मिनल के निर्माण का अनुबंध मैसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 280 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सौंपा गया है। इस टर्मिनल में दो जहाजों के लिए बर्थिंग स्पेस, भंडार, हॉपर के साथ कन्वेयर बेल्ट प्रणाली, बैज लोडर्स, सड़कें, रैंप, पार्किंग क्षेत्र और टर्मिनल भवन शामिल होंगें।
- साहिबगंज पर एक रोल-ऑन रोल-ऑफ) आरओ-आरओ (टर्मिनल, बिहार स्थित मनिहारी के साथ भी महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करेगा। साहिबगंज में करीब 100 ट्रकों ने पहले ही सुविधा का उपयोग शुरू कर दिया है। आरओ-आरओ सुविधा के माध्यम से गुजरने वाले ट्रकों के सड़क परिवहन में काफी समय, लागत और ईंधन की बचत होगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग- 1 (एनडब्ल्यू- 1) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय महत्व का जलमार्ग है। इससे गंगा बेसिन में स्थित हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता, भागलपुर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और इनके औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख शहरों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में रेल और सड़क मार्ग काफी व्यस्त है। इसलिए, एनडब्ल्यू- 1 का विकास परिवहन के एक वैकल्पिक, व्यवहारिक, आर्थिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल तरीके प्रदान करेगा। नए व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में जलमार्ग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

4. खेतीबाड़ी के विकास के साथ किसानों का आर्थिक उन्नयन

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए और किसान विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनें। यह तभी संभव है जब केंद्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3 स्तरों पर काम हो रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

- प्रथम स्तर पर उत्पादन लागत कम किया जा रहा है और उत्पादकता बढ़ायी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं यथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमन्त्री सिंचाई योजना का राज्यों को पूरा लाभ उठाना होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच होती है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाता है।
- किसानों की आय बढ़ाने का दूसरा स्तर है कृषि के साथ कृषि आधारित अन्य लाभकारी क्रियाकलापों जैसे कि पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मेड़ों पर इमारती लकड़ी के पेड़ लगाने के काम को अपनाना। सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाएं हैं।
- तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण स्तर है किसानो को उनकी उपज बेचने के लिए नजदीक में बाज़ार उपलब्ध कराना ताकि उनकी उपज का उन्हें लाभकारी मूल्य मिले सके। अब तक परंपरागत मंडियों ने अच्छा काम किया है लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये मंडिया बढ़ते marketable सरप्लस देखते हुए मार्केटिंग की नयी रणनीति अपनाएं और किसानो, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मार्केटिंग व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन करें। 2003 के पश्चात लम्बे समय तक कोई बड़ा बदलाव कृषि विपणन क्षेत्र में नहीं किया गया । मार्च 2010 में श्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में एक Empowered

committee of State ministers in-charge of Agri-marketing की स्थापना की गयी जिसने 8 सितंबर 2011 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट कृषि मंत्री भारत सरकार को सौंप दी। कमिटी के रिपोर्ट के पश्चात आगे कोई कारवाई नहीं की गयी।

E-NAM (National agriculture market)* :---- -

त्वरित गति से किसानो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी) सीसीईए (ने 1 जुलाई 2015 को 200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार) इ-नाम (स्कीम को अनुमोदित किया। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 8 राज्यों की 23 मंडियों को" ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार) ई-नाम "(योजना के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 14/4/2016 को जोड़ा गया। यह योजना किसानों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करती है। यह पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने की व्यवस्था है। योजना के तहत एकीकृत विनियमित बाजारों में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उन्हें 30 लाख प्रति मंडी की दर से सहायता दी जाती है। वर्ष 2017-18 के बजट में इस सहायता राशि को बढाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है। अभी तक, 13 राज्यों के 417 विनयमित मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं, जो मार्च 2018 तक बढ़कर 585 हो जायेंगी।

ई-नाम पोर्टल पर अब तक 42.18 लाख किसानों और 89,199 व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। अब तक कुल कारोबार का मूल्य 16,163.1 करोड़ है जो कि 63.17 लाख टन के उत्पादों के विपणन से हुआ है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है की किसान एक स्थान पर बैठकर देश की विभिन्न मंडियों। का भाव जान सके और जहाँ पर जो खरीदार उनको ज्यादा पैसा दे, किसान पारदर्शी तरीके से उन्हें अपनी उपज बेच सके। इस योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदू यह भी है कि किसान को अपनी उपज का मूल्य गुणवत्ता अनुसार मिलता है क्योंकि उपज पर इलेक्ट्रॉनिक बोली लगने के पहले किसान के उपज की जांच होती है। इस योजना की सफलता के लिए राज्य सरकारों को सच्चे मन से सार्थक प्रयास करने की जरुरत है, जिसमे माननीय मंत्रियों की अहम् भूमिका है। ई-नाम, सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अलावा मंडियों में कम्पोस्ट प्लांट उपलब्ध कराके, ई -नाम स्वच्छ भारत कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा।

APMC Act.(agricultural produce market committee act)

GENERAL STUDIES HINDI

राज्य सरकारों की मांग एवं विपणन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने मॉडल APMC एक्ट, 2017 तैयार किया है जिसे 6 जनवरी 2017 को मॉडल एक्ट का मसौदा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टिप्पणी के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आम जनता की टिप्पणी के लिए मॉडल एक्ट को कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया।। सभी हितधारकों की टिप्पणियों को मिलाकर नए मॉडल एक्ट 2017 का अंतिम रुप तैयार किया गया है, जिसे राज्य सरकारों को लागू करने के लिए भेजा जा रहा है।.

मुख्यतः इस मॉडल APMC एक्ट में निम्न विषय शामिल हैं :

- निजी क्षेत्र में बाजारों की स्थापना; डायरेक्ट मार्केटिंग यानि बाजार यार्ड के बाहर प्रोसेसर / निर्यातकों / थोक खरीददारों आदि द्वारा किसानों से उत्पाद की प्रत्यक्ष खरीद
- किसान - उपभोक्ता बाजार यानि उपभोक्ताओं द्वारा किसानों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री
- बाजार समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार स्थापित किया जाना; अनुबंध खेती; ई-ट्रेडिंग
- राज्य भर में बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी

- राज्य भर में एकल व्यापार लाइसेंस; मंडी परिसर में दुकान की अनिवार्यता के प्रावधानों को हटाना
- एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को बाहर निकलना इत्यादि।

इस एक्ट में प्रदेश स्तर पर एक ही बाजार का प्रावधान है और यह निजी क्षेत्र के बाज़ार एवं सीधा विपणन प्रोत्साहित करने के लिए" ease ऑफ़ doing बिज़नस "के मॉडल पर आधारित है। नया मॉडल अधिनियम निर्वाचन कराके बाजार के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है, मंडी शुल्क एवं कमीशन चार्जेज को भी तर्कसंगत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्तरराज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा देने की व्यवस्था की गयी है। देश में औसतन लगभग 462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विनियमित बाज़ार है जबकि किसानो पर गठित राष्ट्रीय आयोग की संस्तुति के अनुसार 5 किलोमीटर के रेडियस) 80 वर्ग किलोमीटर (में एक बाज़ार होना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए तथा बाज़ार किसानो के फार्मगेट के नज़दीक उपलब्ध कराने के लिए इसमें गोदामों /शीतगृहों आदि को भी बाज़ार घोषित कराने का प्रावधान किया गया है। यदि राज्य सरकारें सही भावना के साथ इसे लागू करवाती हैं, तो किसान के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपनी उपज को किस बाज़ार एवं किस खरीदार को बेचे, जहाँ उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके।
- संविदा कृषि*: ------

सरकार द्वारा उठाए गया एक और महत्वपूर्ण कदम एक मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम तैयार करने का निर्णय है। यह अधिनियम किसानों के लिए कुशल बाजार संरचना तैयार करके और विपणन दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा और उत्पादन में विविधता से जुड़े जोखिम को भी कम करेगा। यह अधिनियम सभी वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने में भी सहायक होगा और उपभोक्ताओं के रुपयों में उत्पादकों की हिस्सेदारी में सुधार करेगा। इसी मंशा के साथ, सरकार ने एक मॉडल संविदा कृषि अधिनियम तैयार करने के लिए, 28/2/2017 को अतिरिक्त सचिव) विपणन (की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त फसल और विपणन के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, विभाग ने गोदाम विकास एवं विनियमन प्राधिकरण) डब्ल्यूडीआरए (के साथ विस्तृत चर्चा की है, जिसके बाद 9/4/2017 को एक समिति गठित की गई है ताकि उप-बाज़ार यार्ड की स्थापना की जा सके। गोदामों / साइलो को बाजार घोषित कर बाजार को किसानो के करीब लाकर और उन्हें प्रतिज्ञा ऋण की सुविधा उपलब्ध करने का यह एक सार्थक प्रयास है। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। यह मॉडल अधिनियम, बाजार के बुनियादी ढांचे में उन्नत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अवसर प्रदान करता है।

GENERAL STUDIES HINDI

Prelims:

1. **चेनानीनैशरी सुरंग-**

जम्मूकश्मीर में निर्मित-

यह सुरंग पर्यावरण के अनुकूल है और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में इससे मदद मिलेगी।

2. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ पार**

गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

3. **आईएनएस शार्दुल दक्षिण हिंद महासागर में संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निगरानी (ईईजेड) पर**

- केवल भारत में ही नहीं बलकि हिंद महासागर क्षेत्र में अबाधित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय वातावरण सुनिश्चित करने के, भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य को देखते हुए भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल इस क्षेत्र में निगरानी सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में दो महीने की तैनाती पर है।
- इस युद्ध पोत ने तैनाती के प्रारंभिक चरण में 8 से 26 मार्च, 2017 तक राष्ट्रीय तटरक्षक मॉरीशस के साथ तालमेल से मॉरीशस में संयुक्त ईईजेड निगरानी की। सफल संयुक्त ईईजेड निगरानी के बाद इस युद्धपोत ने ईईजेड निगरानी के पहले चरण के लिए 27 मार्च, 2017 को सेशेल्स के ईईजेड में प्रवेश किया।
- आईएनएस सार्दुल की तैनाती का उद्देश्य आईयूयू में मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है।
- इस जहाज ने इस क्षेत्र में व्यापारियों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ व्यापक पूछताछ की ताकि व्यापारिक यातायात के पारगमन के लिए समुद्र को सुरक्षित बनाकर सेशेल्स के ईईजेड की सुरक्षा की जा सके।
- यह युद्धपोत 6 अप्रैल, 2017 को दूसरे ओटीआर और मिशन डिब्रीफ के लिए पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश करेगा। सेशेल्स की संयुक्त ईईजेड निगरानी की डिब्रीफ में सेशेल्स में नियुक्त भारत के उच्चायुक्त, एसपीडीएफ और सेशेल्स तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारी भाग
- 2009 से भारतीय नौसेना मेजबान देशों के अनुरोध पर देश आधारित व्यापक ईईजेड की गश्त करने के लिए इस क्षेत्र में जहाजों की तैनाती कर रही है। इसी जहाज की ऐसी पिछली तैनाती दिसंबर, 2016 में की गई थी।
- मेजबान देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय नौसेना के जहाज की संयुक्त गश्त के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित तैनाती इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच संबंधों और मैत्री को मजबूत बनाती है। आईएनएस सार्दुल भारतीय नौसेना का एक बड़ा लैंडिंग शिफ्ट टैंक है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों, वाहनों और हथियारों को ढ़ोने के साथ-साथ उभयचर उद्देश्य क्षेत्र में युद्ध उपकरण और कर्मियों को पहुंचाना है। इस जहाज को प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के साथ नियमित रूप से तैनात किया जाता है और यह भारतीय नौसेना के युवा अधिकारियों के प्रारंभिक समुद्रिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है।

4. **दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**

- **उद्देश्य :** कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) एच.यू.पी.ए (.के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) एन.यू.एल.एम (.और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) एन.आर.एल.एम (.का एकीकरण है।

GENERAL STUDIES HINDI

- इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों कि गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण, और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) डीएवाई-एनआरएलएम (3.6 करोड़ से भी अधिक परिवारों के जीवन और आजीविका में अहम बदलाव ला रहा है। यही नहीं, इन परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों) एसएचजी (में शामिल हो गई हैं। एसएचजी, ग्राम संगठनों) वीओ (और क्लस्टर लेवल फेडरेशन) सीएलएफ (के अंतर्गत महिलाओं की सामूहिक संस्थाओं ने परिवर्तनकारी सामाजिक प्रधानता विकसित की है, जिससे महिला-पुरुष संबंधों में बदलाव आ रहा है, सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है और ग्राम सभाओं एवं पंचायती राज संस्थानों में उनकी भागीदारी संभव हो पा रही है। इस कार्यक्रम से महिलाओं का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप वे आजीविका में विविधीकरण के लिए एक निरंतर समुदाय संसाधन व्यक्ति)सीआरपी (के नेतृत्व में मार्गदर्शन के जरिए कौशल एवं सक्षमताओं का विकास करने के बाद आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से ऋण पाने का प्रयास करने लगी हैं।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीणः आवास से घर तक

- 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण) पीएमएवाई – जी (की शुरूआत की थी। नया ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम घरों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है।
- घरों में रसोईघर, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति की सुविधा होगी तथा लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार घरों की योजना बना सकेंगे।
- ग्रामीण राजगीरों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, ताकि बेहतर निर्माण के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध हो सके।
- लाभार्थियों के चयन के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जनगणना) एसईसीसी (आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आंकड़े बे-घरबार लोगों या कच्ची छत वाले 0, 1, 2 कच्चे कमरों पर आधारित हैं।
- एसईसीसी आंकड़ों को ग्राम सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है, ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के लिए कुल 44 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा प्रयास कर रहा है कि इन्हें दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया जाए। पीएमएवाई-जी में 6 से 12 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

6. फिल्म निर्देशक अभिनेता कासीनधुनी विश्वनाथ को 2016 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा :-----

- जाने-माने फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता श्री कासीनधुनी विश्वनाथ को 2016 के लिए 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

- भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के अतंर्गत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और एक शॉल प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति 3 मई, 2017 को विज्ञान भवन में यह पुरस्कार देंगे।
- श्री के .विश्वनाथ फिल्मों में शास्त्रीय और पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते रहे हैं और भारतीय फिल्म उद्योग को निदेशित करने वाली शक्ति रहे हैं। निर्देशक के रूप में उन्होंने 1965 से 50 फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्में मजबूत कहानी, कहानी कहने की दिलचस्प तरीकों और सांस्कृतिक प्रमाणिकता के लिए जानी जाती हैं। सामाजिक और मानवीय विषयों पर उनकी फिल्मों को लोगों द्वारा खूब सराहा गया।
- श्री के .विश्वनाथ का जन्म आन्ध्र प्रदेश के गुडीवडेन में फरवरी, 1930 में हुआ था। श्री के विश्वनाथ कला प्रेमी हैं और उन्होंने कला, संगीत और नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर अनेक फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्मों में साहस और कमजोरी, आकांक्षा और दृढ़ता और व्याकुलता, सामाजिक मांग तथा व्यक्तिगत संघर्ष पर बल होता था और फिल्में मानवीय स्वभाव पर आधारित होती थीं।
- फिल्म निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार (और लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। उनकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्वाथीमुथयम को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 59वें एकेडमिक पुरस्कार में भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में रखा गया।
- श्री के .विश्वनाथ अपनी फिल्मों में साधारण ढंग से कहानियां कहते थे। उनकी फिल्में पेचीदी नहीं होती थीं और दर्शकों से सीधा संवाद करती थीं। दर्शक उनकी फिल्में पसंद करते थे। उनकी फिल्में दर्शकों को बार-बार फिल्म देखने के लिए प्रेरित करती थीं और दर्शक हर बार उनकी फिल्मों को और अच्छे तरीके से समझकर सिनेमाघरों से बाहर निकलते थे।
- उनकी एक यादगार फिल्म है सिरिवेन्नेलवास। इसमें एक नेत्रहीन बांसुरी वादक और एक निशब्द चित्रकार की संवेदी कहानी कही गई है। बांसुरी वादक और चित्रकार एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, संगीत से बेहद लगाव रखते हैं और निजी असफलता भी झेलते हैं। इस फिल्म ने दिव्यांगता को लेकर लोगों की धारणा को बदल दिया। इसके संगीत आज भी याद किए जाते हैं और कर्ण प्रिय हैं।
- उनकी फिल्म शंकरभरणम भारत की यादगार शास्त्रीय फिल्म है और पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है। उनकी फिल्मों की विषेशता यह रही कि फिल्में पूरे परिवार का मनोरंजन करती रहीं।

GENERAL STUDIES HINDI